I/152040/2022

संख्या-17/2022/आई/152040/2022/फा0नं0-68-4002(003)/12/2021-4

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

विषयः- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किचेन उपकरण मद में धनराशि के आवंटन हेतु प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म0भो0प्रा0/1741-42/2021-22 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य मद में अनुदान संख्या-71 , लेखाशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103 कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित/अवशेष धनराशि के सापेक्ष किचेन उपकरण मद के अन्तर्गत जनपदवार संलग्न सूची-1 के अनुसार नवीन बर्तन क्रय हेतु रू0 4.30 लाख तथा जनपदवार संलग्न सूची-2 के अनुसार बर्तन रिप्लेसमेन्ट हेतु रू0 721.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 725.80 लाख (केन्द्रांश रू0 435.48 लाख व राज्यांश रू0 290.32 लाख/रूपये सात करोड पच्चीस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जनपदवार संलग्न सूची 01 व 02 के अनुसार समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार अहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय की जायेगी। जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मद में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का पुनः आहरण न होने पाये तथा धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

-2/

(3) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(6) धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सामान्य मद में अनुदान संख्या-71, लेखा शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103 कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-E-11-3490-X-2021-22-दिनांक:15-3-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by धर्मेन्द्र मिश्रा
Date: 22-03-2022 16:25:50
Reason: Approved

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- श्रमायुक्त, कानपुर।
3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-म0भो0प्रा0/1741-42/2021-22 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।

6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।

8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।

11- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0।

12- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।

13- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव।